राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3903/2025

नेमीचन्द मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. विश्राम यादव, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुख्य खण्ड अधिकारी–I, ब्लॉक रैनी, जिला अलवर

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय, मुख्य खण्ड अधिकारी–I, ब्लॉक रैनी, जिला अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिनावाली, जिला झुंझुंनू में स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जो पद राजस्थान स्थानान्तरण गतिविधि नियम–2011 के अधीन आता है, क्योंकि यदि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले से बाहर किया जाता है तो मूल विभाग पंचायती राज विभाग की सहमति के पश्चात् ही कर सकेगा। यहां पर पंचायती राज विभाग की सहमति नहीं ली गई है एवं ब्लॉक रैनी जिला अलवर में बीईईओ के कई पद रिक्त है, उसके बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण दूरस्थ स्थान पर किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय, मुख्य खण्ड अधिकारी–I, ब्लॉक रैनी, जिला अलवर में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य